प्रेस वज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-14.08.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा वशेष अ भयान

◆थाना कोइरौना क्षेत्र अंतर्गत नाबा लक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को मा0 न्यायालय द्वारा _20 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹70,000/- अर्थदंड_ से कया गया दं डत

◆वैज्ञानिक ववेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पु लस व लोक अ भयोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मली सजा

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

थाना कोईरौना, जनपद भदोही में पी ड़ता की माता (वादिनी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनकी 15 वर्षीय नाबा लग पुत्री 14 मार्च 2024 की रात से लापता थी, जो काफी खोजबीन के बाद 21 मार्च 2024 को रोती हुई घर वापस लौटी। पी ड़ता ने अपनी मां को बताया क ग्राम बालीपुर (थाना ज्ञानपुर) का निवासी वकास हरिजन पुत्र श्यामधर हरिजन, जो सेमराध में अपनी मौसी के घर रहकर टेम्पो चलाता था, उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म (गलत काम) कया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या- 30/2024 धारा- 363,376 व 366 भारतीय दण्ड संहिता व लैं गक अपराधों से बालकों का संरक्षण अ धनियम, 2012 की धारा-5/6 थाना- कोईरौना, जनपद- भदोही पंजीकृत कर वैज्ञानिक ववेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए के आरो पयों के वरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रे षत कया गया।

श्रीमान् पु लस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अ भनव त्यागी,* पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान और न्यायालयों में लंबित मुकदमों में *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में *"ऑपरेशन कन्विक्शन"* के तहत चन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध मा0 न्यायालय से अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पु लस द्वारा वशेष अ भयान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अ भयोग में स्थानीय पु लस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी- श्री धीरज शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री दुर्गेश (एच०जे०एस०) न्यायालय वशेष न्यायाधीशः लैं गक अपराधों से बालकों का संरक्षण अ धनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट), भदोही द्वारा दोषी अ भयुक्त वकास हरिजन पुत्र श्यामधर हरिजन, निवासी बालीपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही को आरो पत अपराध अन्तर्गत धारा- 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 में *_20 वर्ष सश्रम कारावास व ₹70,000/- अर्थदंड_* से दं डत कया गया। अर्थ दंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।